

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016



क्रमांक: एफ-21/ए/एल.बी.एन एस.यू. / रा.भा. / 2020-21/665

दिनांक 21.12.2020
२४

कार्यालय आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ सं.13035-9/2020 रा.भा.ए. दिनांक 10.12.2020 के सन्दर्भ में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार कार्यालयों द्वारा हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय न करने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है। ये आदेश इस प्रकार है :-

“मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।”

अतः विश्वविद्यालय द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए।

समस्त सम्बन्धित अनुभागों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

सहायक कुलसचिव (प्रशा.)

प्रतिलिपि सूचनाएँ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख,
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. प्रकाशन विभाग
8. पुस्तकालयाध्यक्ष
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव

सहायक कुलसचिव (प्रशा.)